प्रेस नोट–166 / 2026
दिनांक 23.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 23.03.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली इकाई** द्वारा श्री राजेश कुमार निवासी ग्राम सदापुर थाना पुवांमा जनपद शाहजहाँपुर से मतस्थ जीवी सहकारी समिति (प्र0) ग्राम सदापुर के गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में तहसील तिलहर मुख्य द्वार के पास से **ज्येष्ठ मत्स्थ निरीक्षक पूरनलाल (कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्थ जनपद शाहजहाँपुर)** पुत्र स्व0 ताराचन्द्र निवासी ग्राम फैलम थाना अलीगंज जनपद बरेली को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–167/2026
दिनांक 23.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद जौनपुर/थाना मीरगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 22.03.2026 की रात्रि थाना मीरगंज व थाना मछलीशहर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कम्पोजिट विद्यालय के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आरिफ घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया, एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मीरगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मीरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आरिफ निवासी लमहन थाना महराजगंज जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद बाराबंकी/थाना मसौली

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 22.03.2026 की रात्रि थाना मसौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धरौली मोड़ के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त उस्मान उर्फ कलेजी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो में सीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मसौली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मसौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–उस्मान उर्फ कलेजी निवासी ग्राम बांसा थाना मसौली जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बांदा/थाना कोतवाली नगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल व 02 मोटर साइकिल के इंजन आदि बरामद**

दिनांक 23.03.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अतर्रा रोड़, दीप ढाबा के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1–प्रशान्त

उर्फ चंदू उर्फ राणा 2–रोहित उर्फ बउवा 3–अली मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल व 02 मोटर साइकिल के इंजन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रशान्त उर्फ चंदू उर्फ राणा निवासी रामपुर थाना औंग जनपद फतेहपुर।

2–रोहित उर्फ बउवा निवासी रामपुर थाना औंग जनपद फतेहपुर।

3–अली मोहम्मद निवासी चौडगरा थाना कल्याणपुर जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल व 02 मोटर साइकिल के इंजन आदि।

- **जनपद उन्नाव/थाना सफीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 29 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना सफीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/452/323/324 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अनिल को आजीवन कारावास व 29 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद श्रावस्ती/थाना इकौना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना इकौना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/325 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मुंशीलाल को आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त भरत को 10 वर्ष के कठिन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————